संख्या- 124 / 2016/ 551 /चार-2016-38(बजट)/2015

प्रेषक,

सूर्यमणि लालचन्द ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय ,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ :: दिनांक 12 जुलाई ,2016

विषय:- जनपद कन्नौज में बाल संग्रहालय की स्थापना में उच्च विशिष्टियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कन्नौज में बाल संग्रहालय की स्थापना में उच्च विशिष्टियों हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 903.04 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा करते हुए कार्य की लागत रू0 803.68 लाख मूल्यांकित की गयी है । अतएव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद कन्नौज में बाल संग्रहालय की स्थापना में उच्च विशिष्टियों हेतु धनराशि रू0 803.68 लाख की प्रशासकीय तथा प्रथम चरण में धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो आगणन के सापेक्ष नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था तथा निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोक अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) विकास एजेण्डा वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत जनपद कन्नौज में नवनिर्मित संग्रहालय भवन से लगभग 1.00 कि0मी0 की कम दूरी पर संस्कृति विभाग के स्वामित्व वाले 0.2020 हे0 भूखण्ड पर बाल संग्रहालय का निर्माण कराया जायेगा।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी वर्ष 2015 की कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी मदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, उनकी लागत का आकलन बाजार दर/कोटेशन के आधार पर किया गया है। प्रभाग का स्पष्ट मत है कि निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपराइटरी सम्बन्धी कार्यमदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराया जाय एवं इन मदों पर वास्तवकि व्यय ही देय होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय तथा कार्यदायी संस्था का होगा।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव में स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, वाल पेनलिंग ,वुडन फ्लोरिंग , कार्पेट फ्लोरिंग,फाल्स सीलिंग का प्राविधान किया गया है, जो कि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, अतएव सक्षम स्तर से नियमानुसार पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट , चेयर्स ,कार्पेट स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, वुडन फ्लोरिंग रिपलिट ए0सी0 ,डी0जी, सेट,एल0टी0 पैनल, स्टेज लाइटिंग एवं साउण्ड सिस्टम का प्राविधान किया गया है। प्रभाग का मत है कि इसके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूॅकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इसके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक,माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निदेशक, संग्रहालय निदेशालय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत सीवर ,स्ट्राम वाटर ड्रेन , हार्टीकल्चर , वाटर सप्लाई , साउण्ड सिस्टम स्टेज लाईटिंग , कनेक्टिंग पैनल एवं एल0टी0 पैनल कार्य मदों हेतु डी0एस0आर0/एकमुश्त लागत प्रस्तावित की गई है। प्रभाग का मत है कि निर्माण से पूर्व इन समस्त मदों का विस्तृत आगणन गठित किया जाय एवं गठित आगणन सक्षम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 2075.00 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु रू0 6.43 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति से संस्तुति न होने के कारण प्रभाग द्वारा इस मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष फिलहाल एकमुश्त रू0 2.50 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है ताकि निर्माणकार्य में कोई कठिनाई न हो। अवशेष धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति के पश्चात देय होगी।

(12) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार एवं क्षेत्रफल में वृद्धि एवं उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(13) प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय /वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, संग्रहालय निदेशालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

2 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92-के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय -04-कला तथा संस्कृति -800- अन्य व्यय -13-जनपद कन्नौज में विज्ञान एवं बाल संग्रहालय की स्थापना -24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-502 /दस-2016, दिनांक 30 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सूर्यमणि लालचन्द)
विशेष सचिव।

संख्या - 124 / 2016 / 551(1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन,लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

3- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-4/2/6/2016सी0एक्स (1) दिनांक 11 मई, 2016 के क्रम में।

4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ ।

5 - वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

6 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

7 - महा प्रबन्धक, जोन-7 , उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ

8 - परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 कन्नौज ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

10 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।

11 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(सूर्यमणि लालचन्द)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।